न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/204

दायरा तिथि : 18.09.2023

आदेश तिथि : 23-02-2024

प्रार्थीगण :–

1. रासी रियल एस्टेट एल एल पी कोलकाता के भागीदार करण पुत्र शिव कुमार मोदी जाति अग्रवाल निवासी अंधेरी, मुंबई (महाराष्ट्र)
2. कन्या पुत्री केसूदास
3. प्यारीबाई पुत्री केसूदास
4. मजुबाई पुत्री केसूदास जातिगण साद निवासीगण पैरवा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये

(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 23-02-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा पैरवा पटवारी हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 539 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 542 रकबा 0.6700 हैक्टर भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा पैरवा के खसरा नंबर 530 रकबा 0.3500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2024/1733 दिनांक 25.01.2024 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम पैरवा पटवार मंडल पैरवा तहसील बाली के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 539 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 542 रकबा 0.6700 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक व अन्य कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी पर है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
	530	0.3500 हैक्टर	बा.दो.	76x9.09= 690.84 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम पैरवा की डी.एल.सी.दर 163325/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी मौके पर निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

पेज लगातार––2

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/204

अनवान रासी रियल एस्टेट वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा पैरवा पटवारी हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 539 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 542 रकबा 0.6700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1733 दिनांक 25.01.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा पैरवा पटवारी हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 539 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 542 रकबा 0.6700 हैक्टर में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा पैरवा के खसरा नंबर 530 रकबा 0.3500 मेंसे 690.84 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 163325/- प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
530	0.3500 हैक्टर	76X9.09=690.84 वर्गमीटर	17	11745X2=23490	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 23490/- (अक्षरे तेईस हजार चार सौ नब्बे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

दिनांक : 23-02-2024

पत्रांक : कोर्ट/2024/229-233

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
3. पटवारी हल्का पैरवा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री रासी रियल एस्टेट एल एल पी कोलकाता के भागीदार करण पुत्र शिव कुमार मोदी जाति अग्रवाल निवासी अंधेरी, मुंबई (महाराष्ट्र) वगैरा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम - गागली
तह - बाली
जिला - पाली
राज.

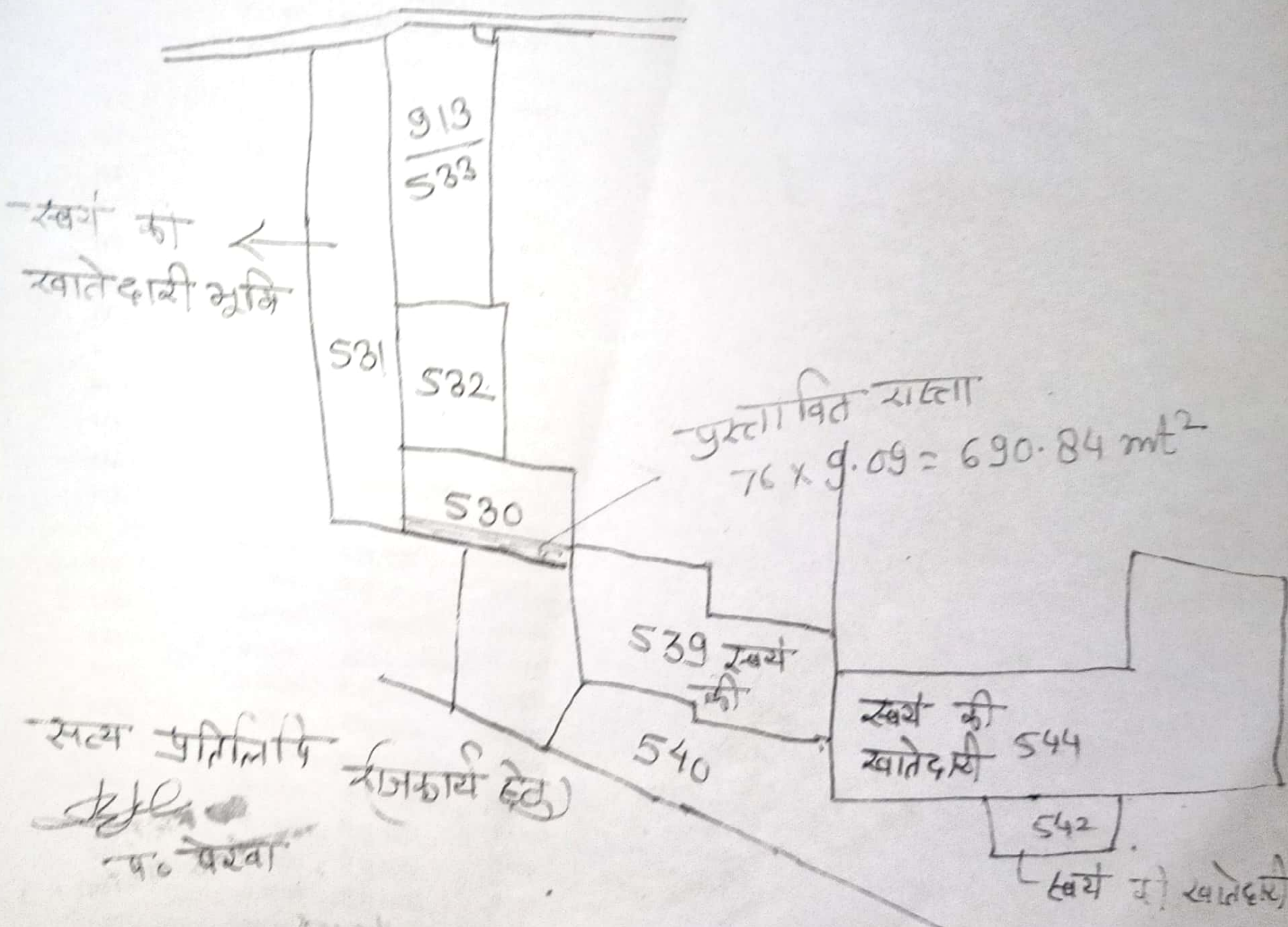

सत्य प्रतिलिपि राजकार्य हेतु

प० बरवा

तहसीलदार, बाली

किसनपुर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner